तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
2/9/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्ष कारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/9/24 को पेश हो।
23/9/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्ष [illegible] उप०/ पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/10/24 [illegible] हो।
21/10/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप०। वकील अप्रार्थी सं. 06 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-151 CPC का पेश किया गया। प्रति वकील वादी ने प्राप्त की। दोनों पक्षों से [illegible] पत्रावली पर बहस [illegible] वकील वादी की बहस है कि [illegible] सं. 01 का पंजीकृत गोदपुत्र है [illegible] अप्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी [illegible] संख्या 384/0.0324 हे० व 385/[illegible]2 हे० वाके ग्राम भारणी तहसील [illegible] में अवस्थित है। उक्त आराजी [illegible] के दादा एवं प्रतिवादी सं. 01 व 2 के पिता पुत्र प्रभु की खातेदारी आराजी थी। अतः प्रार्थी का पैतृक आराजी में जन्म से ही अधिकार होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी में अपना हक-हिस्सा निहित रखता है। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 01 अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना स्वाभाविक है। उक्त भूमि में अपना हक-हिस्से की घोषणा का वाद न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। जिसमें समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:40:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

...राम	बनाम	धनाराम
...संख्या 2023/490	किस्म मुकदमा	212

हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
लगना स्वाभाविक है अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक हिस्से तक उक्त भूमि में दखलअंदाजी नहीं करने हेतु ताजुमला मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थी सं. 06 की बहस है कि अप्रार्थी सं. 06 द्वारा आराजी खसरा संख्या 385 जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय किया था, अप्रार्थी सं. 06 बेचान दिनांक से आज तक मौके पर काबिज काश्त है। वकील अप्रार्थी सं. 06 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 385 पर कब्जा नहीं होने के बावजूद घोषणा के अनुतोष की मांग की गई है। कब्जा की मांग किये बिना घोषणा की मांग किये जाने से प्रार्थी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी का स्थगन का आवेदन निरस्त किये जाने [illegible] अप्रार्थी सं. 06 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि [illegible] जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय की गई भूमि का नामांतरकरण संख्या 288 दिनांक 19/01/2024 प्रक्रियाधीन होने के कारण उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 06	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:40:47 IST
Reason: SelfAttested

अदालत सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

रूपाराम	बनाम	[illegible]
जीसीएमएस संख्या 2023/400	किस्म मुकदमा	[illegible]

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	की खातेदारी आराजी होने तथा बैचान दस्तावेज को प्रार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं देने के कारण उक्त आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 01 का गोडबुन है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से साबित होता है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से उक्त आराजी पैतृक आराजी होना साबित होती है परंतु अप्रार्थीनी सं. 06 द्वारा रजिस्टर्ड ख. सं. 385 की भूमि जरिये बेचनामा क्रय करके एवं वर्तमान जमाबंदी अनुसार नामांतरकरण संख्या 288 पारित होने के कारण अप्रार्थीनी सं. 06 उक्त भूमि पर अपना हक निहित रखती है। हालांकि प्रार्थी [illegible] आराजी होने के [illegible] हक-हिस्से से [illegible] बेचान किया जाता है तो प्रार्थी [illegible] अपूरणीय क्षति होना संभाव्य प्रतीत होता है एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:40:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

रूपाराम	बनाम	धनाराम	
सीसीआरएमएस संख्या	2023/400	किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निहित होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी सं. 06 को खरीदशुदा आराजी का नामांतरकरण सं. 288 वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अप्रार्थी सं. 06 द्वारा प्रस्तुत जु० पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 06 अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त नामांतरकरण को रोकना न्यायालय उचित नहीं समझती है। अतः मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 395 रकबा 6.9412 है० पर नामांतरकरण संख्या 288 पारित होने के पश्चात की स्थिति एवं खसरा सं. 384 रकबा 0.0324 है० वाके ग्राम सारणों का तला पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ... एवं ख. सं. 384 वाके ग्राम सारणों का ... के नामांतरकरण सं. 288 ... होने के पश्चात की स्थिति पर ... की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली पेश मिसल कुमार होकर मूल वाद के नत्थी हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:40:47 IST
Reason: SelfAttested